<u>नेशनल ई–लोक अदालत खण्डपीठ कमांक–17 रायपुर (छ.ग.)</u>

(<u>नेशनल</u> ई–लोक अदालत की तिथि 12.12.2020)

संबधित न्यायालय का नाम– नम्रता नोरगे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी रायपुर(छ0ग0)।

परिवाद प्रकरण कमांक –3756/2018

बजाज फाईनेंस लिमिटेड
कार्यालयः– दूसरी मंजिल, चौहान लैण्डमार्क,
कान्ट्रेक्टर कॉलोनी, चन्द्रा मौर्या चौराहा
सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग छ.ग.
द्वारा अधिकृतः– सोमदत्त चन्द्रा, आ. श्री जगत राम चन्द्रा,
उम्र 29 वर्ष, आममुख्तयार, मो. नं.–9098538254 .....परिवादी

विरूद्ध

ईश्वर जगत,उम्र लगभग 27 वर्ष,
पिता श्री उज्जवल जगत,
निवासी–मकान नम्बर 21/450 कृषि उपज मंडी के पीछे,
समलेश्वरी नगर, देवेन्द्र नगर
जिला रायपुर छ.ग. .....अभियुक्त

//<u>अधिनिर्णय</u>//
<u>(दिनांक–12.12.2020 को घोषित)</u>

<u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण</u> :– प्रकरण में परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद पत्र अंतर्गत धारा–25 पेमेंट एण्ड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट सहपठित धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत ऋण खाता कमांक 134705000467 की राशि 5445/–रूपये, आंध्रा बैंक, 19/02 मंडी गेट के पास, पंडरी जिला रायपुर छ.ग. के अनादरण के संबंध में परिवाद पेश किया गया है।

परिवादी द्वारा प्रकरण में **नेशनल ई–लोक अदालत** राजीनामा किये जाने हेतु हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्राप्त। जिसमें लेख है कि अभियुक्त/अभियुक्तगण एवं परिवादी के मध्य प्रकरण में आपसी राजीनामा होने से परिवाद आगे नहीं चलाना व्यक्त किया गया।

परिवादी एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण के मध्य आज **नेशनल ई–लोक अदालत** में विडियो कॉफ्रेंस जिट्सी मीट एप के माध्यम से कनेक्ट नहीं हो पाने के कारण वाट्सअप विडियो कॉलिंग के द्वारा सहमति लिये जाने पर परिवादी कम्पनी के मुख्तयार द्वारा प्रकरण में आपसी राजीनामा होने से परिवादी आगे नहीं चलाना व्यक्त किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

<u>निर्णय/आदेश–</u> परिवादी एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में **नेशनल ई–लोक अदालत** में राजीनामा करना व्यक्त कर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

परिवादी एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण के मध्य आज **नेशनल ई–लोक अदालत** में विडियो कॉफ्रेंस जिट्सी मीट एप के माध्यम से कनेक्ट नहीं हो पाने के कारण वाट्सअप विडियो कॉलिंग के द्वारा सहमति लिये जाने पर परिवादी कम्पनी के मुख्तयार द्वारा प्रकरण में आपसी राजीनामा होने से परिवाद आगे नहीं चलाना व्यक्त किया गया। चूंकि परिवादी एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण के साथ स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो गया है दोनों के मध्य विवाद समाप्त हो गया है। इसलिये परिवादी द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता। अतः राजीनामा की अनुमति प्रदान की जाती है। अभियुक्त/अभियुक्तगण को परिवाद पत्र धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है तथा परिवादी का परिवाद समाप्त किया गया।

उभयपक्ष /उनके अधिवक्ता के वांछन किये जाने पर अवार्ड की स्केन कॉपी उभयपक्ष के अधिवक्ता/पक्षकार के ई–मेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाये। अवार्ड की मूल कॉपी को उभय पक्षकार पश्चात्वर्ती अनुक्रम में संबंधित न्यायालय से निःशुल्क एक–एक प्रति प्राप्त कर सकते है।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
सदस्य	**सदस्य**	**पीठासीन अधिकारी**